न्यायालय श्रीमान आयुक्त मंडल ग्वालियर म0प्र0 R-1382-II/16

निगरानी प्रकरण क्रमांक- सन् 2016

श्रीमती कबूलन खातून पुत्री मेहरबान खाँ
पत्नी सद्दू खाँ मुसलमान निवासी ग्राम तुरकनपुरवा मौजा गोयरा
हाल निवासी सरवई तहसील गौरिहार जि. छतरपुर म0प्र0 --आवेदिका/निग.

श्री रजनी... 2/5/16 को प्रस्तुत

बनाम

मध्य प्रदेश शासन -- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू0रा0 संहिता 1959

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक-03/अ-21/2015-16 आदेश दिनांक 05/04/16 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है :-

महोदय,

निगरानी कर्ता सादर निम्न लिखित विनय प्रस्तुत करता है :-

1. यहकि प्रकरण तथ्य इस प्रकार है श्रीमती कबूलन खातून पुत्री मेहरबान खाँ पत्नी सद्दू खाँ मुसलमान निवासी तुरकनपुरवा मौजा गोयरा हाल निवासी सरवई तह0 गौरिहार जिला छतरपुर म0प्र0 ने अपर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भूमि खसरा नं. 304/2 रकबा 2.023 हेक्टयर भूमि स्थित गोयरा तह0 गौरिहार की भूमि विक्रय की जाने की अनुमति इलाज हेतु पैसों की आवश्यकता होने के आधार पर आवेदन पत्र भूमि विक्रय की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था ।

2. यहकि उक्त भूमि आवेदिका को प्रकरण क्रमांक-323/अ-19 (4) वर्ष 1987-88 आदेश दिनांक-13/09/88 तहसीलदार गौरिहार द्वारा प्रदान की गई थी, उक्त भूमि शासन से प्राप्त होने के कारण उक्त भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । आवेदन पत्र में लेख किया गया कि उक्त भूमि के अतिरिक्त आवेदिका के हिस्से में 4.005 हेक्टयर भूमि परिवार के पालन पोषण हेतु शेष बचती है जिससे वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकती है ।

3. यहकि आवेदक के आवेदन पत्र पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा तहसीलदार गौरिहार से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । प्रकरण में संलग्न

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1382– दो/16 **जिला** –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
2–5–16	आवेदिका के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्र0क0 03/अ–21/15–16 में पारित आदेश दिनांक 5.4.16 से परिवेदित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 2– आवेदिका के अधिवक्ता के तर्क सुने गये, उनके द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि आवेदिका गंभीर बीमारी से पीडित है। डाक्टरों ने ऑपरेशन से आवेदिका की बच्चादानी निकाले जाने एवं सतत इलाज कराये जाने की सलाह दी है। आवेदिका अपना सतत इलाज करा रही है, इलाज कराते समय आवेदिका की आर्थिक स्थिति खराब हो चली है उसे ऑपरेशन कराने के लिये 2,00,000/– दो लाख रूपये की आवश्यकता है। इसी कारण आवेदिका अपनी दूर स्थित भूमि खसरा 304/2 रकवा 2.023 है0 भूमि स्थित ग्राम रामपुर घाट तहसील गौरिहार शासन से प्राप्त भूमि के विक्रय करने की अनुमति हेतु अपर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रकरण कमांक 03/अ–21/15–16 प्रस्तुत किया था, जिसमें आवेदिका द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि के बाद शेष बची भूमि ग्राम गोयरा ग्राम सरबई में स्थित भूमि के अभिलेख संलग्न कर लेख किया था कि उसके एवं उसके परिवार के हिस्से में 4.005 है0 शेष भूमि बचती है, जिससे वह अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती है। फिर भी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.4.16 द्वारा आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है उक्त आदेश को निरस्त कर आवेदिका को भूमि विक्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है।	

3– आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया तथा अभिलेख का अवलोकन किया । आवेदिका द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय प्रमाण–पत्र से आवेदिका गंभीर बीमारी से ग्रसित होना, बच्चादानी निकाले जाने के तथ्य सही होने से अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार गौरिहार ,पटवारी गोयरा ग्रामवासी ग्राम गोयरा के पंचनामा एवं साक्षियों के कथनों में आवेदिका का इलाज हेतु भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की गई है। प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों से स्पष्ट है कि आवेदिका को भूमि खसरा न0 304/2 रकवा 2.023 है0 भूमि स्थित ग्राम रामपुरा घाट तहसील गौरिहार जिला छतरपुर की भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के बाद भी आवेदिका के पास ग्राम गोयरा एवं ग्राम सरबई में 4.005 है0 भूमि शेष बचती है, जिससे आवेदिका एवं उसके परिवार का भरण पोषण किया जाना संभव है।

4– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदिका के गंभीर इलाज हेतु रूपयों की आवश्यकता होने पर भी भूमि विक्रय की अनुमति आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने में भूल की है जिससे अपर कलेक्टर जिला छतरपुर का आदेश दिनांक 5.4.16 निरस्त किया जाता है। आवेदिका को भूमि खसरा न0 304/2 रकवा 2.023 है0 स्थित ग्राम रामपुर घाट तहसील गौरिहार जिला छतरपुर को विक्रय करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाइडलाईन के मान से विक्रय धन विक्रेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करे।

सदस्य